



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1945 (श०)

(सं० पटना 609) पटना, बुधवार, 26 जुलाई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2023

अधिसूचना संख्या 07/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ०. 226, दिनांक 26 जुलाई 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्यकर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम सं. 19 ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)

“सेटेलाइट प्रेक्षण सेवाएं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2023 से लागू होगी।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13) 07)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

26 जुलाई 2023

एस० ओ० 226, दिनांक 26 जुलाई 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13)07)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 26th July 2023***Notification No. 07/2023- State Tax (Rate)**

S.O. 226 Date 26 July 2023- In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department Notification No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, 555, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 19C, for entries in column (3), the following entry shall be substituted: -

(3)
“Satellite launch services.”.

2. This notification shall come into force with effect from 27th July,2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 07)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 609-571+10-डी०टी०पी०Website: <http://egazette.bih.nic.in>